13

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सूचना अधिकार संख्या 77/2016 अनवानी श्री लादूराम जेवलिया स्वामी केशवानंद बस्ती, नोहर जिला हनुमानगढ बनाम प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

11–02–2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री लादूराम जेवलिया उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री भारतभूषण शर्मा लिपिक ग्रेड फस्ट उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 01.02.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

> जिला कलक्टर द्वारा अपने राजस्व विभाग की शाखा से नोहर कस्बा के पास की राजस्व भूमि किसान छात्रावास नोहर को अलाट की थी आवेदक हंसराज आदि थे। यह भूमि अप्रेल 1979 व बाद के समय अलाट की थी इस अलाटमेंट पत्र की छाया प्रति भिजवाने का कष्ट करें।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में वाछित सूचना के संबंध प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा द्वारा पत्र दिनांक 01.03.2016 के द्वारा भ्रामक जबाब भिजवाया है। इसलिए उसके द्वारा चाही गई सूचना निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा द्वारा अपना जबाब सं0 3390 दिनांक 19.05.2016 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना में पत्रावली का नम्बर/संख्या दर्ज नही है जिसके अभाव में व 20 वर्ष से अधिक पुरानी पत्रावली तलाश किया जाना संभव नही होने के कारण प्रार्थी को पत्र सं0 1262 दिनांक 01.03.2016 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि नोहर कस्बे के पास किसान छात्रावास हेतु आवंटित की गई भूमि संबंधी पत्रावली की संख्या एवं पूर्ण विवरण से अवगत करवावे ताकि पत्रावली तलाश कर नकल उपलब्ध करवाई जा सके।

प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा द्वारा पत्र सं0 1262 दिनांक 01.03.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपने आवेदन पत्र में किसान छात्रावास हेतु वर्ष 1979 में आवंटन की गई भूमि से संबधित पत्रावली की नम्बर/संख्या नही लिखी गई है। पत्रावली संख्या के अभाव में 20 वर्ष से अधिक पुरानी पत्रावली तलाश किया जाना सम्भव नही है
>
> अतः इस संबध में आपको सूचित किया जाता है कि किसान छात्रावास हेतु आवंटन की गई भूमि संबधी पत्रावली की संख्या एवं पूर्ण विवरण से अवगत करावें ताकि पत्रावली तलाश कर नकल उपलब्ध करवाई जा सके।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

राजस्व शाखा के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी संबंधित आवंटन पत्रावली संख्या का विवरण उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया है, जो अपीलार्थी को 08.03.16 को प्राप्त हो चुका है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा उक्त विवरण उपलब्ध नही करवाया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलक्ट्र, श्रीगंगानगर द्वारा दिया गया उत्तर दिनांक 01.03.2016 सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी चाही गई सूचना के संबंध में संबंधित अभिलेख का विवरण उपलब्ध करवा देवे तो उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करवा दिया जावे और उसमें से जो भी सूचना प्राप्त करना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

544-46
6/3/2017

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर